

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 घ

(नियम 64 देखिए)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

024- सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान की विधानसभा के लिये निर्वाचन

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि :-

श्री मनोज कुमार

ग्राम बाघसरा पूर्वी पोस्ट शोभासर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरु

जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी द्वारा खड़े किये गये हैं।

उस सदन में

श्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल की मृत्यु हो जाने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान : राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, चूरु।

तारीख : 02.05.2021



(मुलचन्द लुणिया)

रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 024- सुजानगढ़

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़

जिला चूरु

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)

FORM 21D

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** (State/Union territory) from **24-Sujangarh (SC)** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

MANOJ KUMAR

GRAM BAGHSARA PURVI POST SHOBHASAR TAH. SUJANGARH DISTT.- CHURU (RAJ.) [sponsored by **Indian National Congress**] has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the

*death of Shri Master Bhanwarlal Meghwal Seat have vacant. having been declared

Place : GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE, CHURU

Date : 02-05-2021



(Moolchand Luniya)
Returning Officer
Sujangarh 024 (SC)
Assembly Constituency